



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267527
CG-DL-E-10112025-267527

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/कात्तिक 15, 1947

No. 325]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/KARTIKA 15, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2025

फा. सं. जे-9/11/2019 सीपीयू.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 10 की उप-धारा (2) और धारा 15 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22/08/2025 के आदेश संख्या 36/01/2025-ईओ (एसएम-I) के मद्देनजर, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.05.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण [सीसीपीए] के सुचारू संचालन के लिए, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारत सरकार के महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी के स्थान पर श्री संजय गर्ग, महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारत सरकार को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण [सीसीपीए] में महानिदेशक (जांच) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

भरत खेड़ा, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th November, 2025

F. No. J-9/11/2019-CPU.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 10 and sub-section (2) of section 15 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019) and in view of DoP&T's Order No. 36/01/2025-EO(SM-I) dated 22/08/2025, in partial modification of this Department's notification of even number dated 02.05.2024, the Central Government, hereby, assigns **the additional charge of Director General (Investigation) in the Central Consumer Protection Authority[CCPA] to Shri Sanjay Garg, Director General, Bureau of Indian Standards (BIS),** Government of India in place of Shri Pramod Kumar Tiwari, Director General, Bureau of Indian Standards (BIS), Government of India, for smooth functioning of the Central Consumer Protection Authority[CCPA].

BHARAT KHERA, Addl. Secy.